

सह-शिक्षा: अवधारणा और ऐतिहासिक संदर्भ

डॉ. अनिल कुमार
सहायक आचार्य,
बी. एड. विभाग
हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वाराणसी



सह-शिक्षा: आपके अनुभव

1

क्या सह-शिक्षा से लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सीखने के परिणामों में सुधार होता है?

2

सह-शिक्षा बनाम एकल-लिंग स्कूलों में आपका अनुभव कैसा रहा?

3

सह-शिक्षा वाली कक्षा में आपको कौन से व्यवहार संबंधी अंतर दिखाई देते हैं?

4

क्या सह-शिक्षा ने आपके आत्मविश्वास को बढ़ाया है? क्यों?

5

विकल्प दिए जाने पर आप किस प्रकार के स्कूल का चयन करेंगे?

6

एक यादगार सह-शैक्षणिक क्षण जिसने इसके महत्व को उजागर किया हो?

सह-शिक्षा:



सह-शिक्षा केवल एक कक्षा साझा करने से कहीं अधिक विकसित हुई है। आधुनिक समझ एक समावेशी वातावरण पर जोर देती है जो विशिष्ट स्तंभों पर आधारित है:



लैंगिक संवेदनशीलता

विविध लैंगिक पहचानों को समझना और उनका सम्मान करना।



आपसी सम्मान

अलग-अलग दृष्टिकोणों और पृष्ठभूमियों को महत्व देना।



समानता और सहभागिता

समान अवसरों और सार्थक सहभागिता को बढ़ावा देना।



समावेशी वातावरण

सभी छात्रों के लिए एक स्वागत योग्य स्थान बनाना।

ऐतिहासिक जड़ें: भारत में सह-शिक्षा



प्राचीन काल

प्रारंभिक केंद्रों में समावेशी शिक्षा



मध्यकालीन युग

लिंग-आधारित शिक्षा की ओर बदलाव




औपनिवेशिक काल

पश्चिमी मॉडल और मिशनरी स्कूल



स्वतंत्रता के बाद

नीति-आधारित राष्ट्रव्यापी विस्तार




भारत में सह-शिक्षा का एक समृद्ध और जटिल इतिहास है, जो सदियों से सामाजिक बदलावों और शैक्षिक सुधारों को दर्शाता है।

औपनिवेशिक काल: बदलाव के बीज

ब्रिटिश औपनिवेशिक काल ने भारत में सह-शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जो सामाजिक सुधारकों और नई शैक्षिक नीतियों द्वारा प्रेरित था।

सामाजिक सुधार आंदोलन

राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले जैसे अग्रदूतों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, और स्थापित सामाजिक मानकों को चुनौती दी।



मिशनरी स्कूल

इन संस्थानों ने लड़कियों के लिए नए स्कूल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच व्यापक हुई।



हंटर कमीशन (1882)

इस आयोग ने प्राथमिक स्तर पर सह-शिक्षा की आवश्यकता और उपयोगिता को मान्यता दी, जिससे भविष्य में इसकी स्वीकार्यता के लिए आधार तैयार हुआ।



स्वतंत्रता के बाद: एक लोकतांत्रिक आदर्श

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता ने समानता और शिक्षा के अधिकार को सह-शिक्षा के विस्तार के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।



- **संवैधानिक जनादेश:** भारतीय संविधान ने समानता और शिक्षा के अधिकार को स्थापित किया, जिससे सह-शिक्षा को कानूनी और नैतिक वैधता मिली।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां (NEP):** 1968, 1986 और 2020 की नीतियों ने लगातार लैंगिक समानता को एक मुख्य शैक्षिक उद्देश्य के रूप में पहचाना, सह-शिक्षा को इसे प्राप्त करने का एक साधन बताया।
- **व्यापक स्वीकृति:** सह-शिक्षा का ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ, जो पूरे देश में स्कूली शिक्षा के लिए एक मुख्यधारा का दृष्टिकोण बन गया।

सह-शिक्षा के लाभ: एक समग्र वातावरण को बढ़ावा देना



लैंगिक समानता और सहयोग सह-शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है, समानता की भावना को बढ़ावा देती है और वास्तविक दुनिया के लिए आवश्यक सहयोगी कौशल को बढ़ावा देती है।



रूढ़िवादिता तोड़ना यह स्वाभाविक रूप से लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ता है, क्योंकि छात्र सभी लिंगों में विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं को देखते हैं, जिससे उनके दृष्टिकोण व्यापक होते हैं।



कार्यस्थल की तैयारी पेशेवर व्यवहार, समान भागीदारी और सम्मानजनक बातचीत को विकसित करके छात्रों को मिश्रित-लिंग वाले पेशेवर वातावरण के लिए तैयार करना।



भावनात्मक और सामाजिक परिपक्वता सहानुभूति, संवेदनशीलता और आपसी सम्मान को प्रोत्साहित करना, जिससे अधिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति बनते हैं।